बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि, १८ दिसम्बर, १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

स्थगन प्रस्ताव ।

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष—समय पर स्थगन का प्रस्ताव नहीं दिये जाने पर मंजूरी नहीं दी जाती है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हुजूर, १६ तारीख को ही तो स्ट्राइक शुरू हुआ ।

अध्यक्ष—लेकिन आज १८ है, इसकी तारीख कल थी । इसमें कोई-कंडोनेशन की गुंजाइश नहीं है । यह नियम बहुत कठिन है । इसमें कलेजे पर पत्थर रखकर काम करना पड़ता है । (हंसी) ।

विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश ।

MESSAGE RECEIVED FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

ASSISTANT SECRETARY TO THE ASSEMBLY : Sir, the following message has been received from the Legislative Council.

"This Council recommends to the Bihar Legislative Assembly that the Bihar Municipal Bill, 1957, be referred to a Joint Select Committee of this Council and the Assembly and the said Select Committee do consist of 48 Members."

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वनजाति आयुक्त के १९५५ के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद ।

DISCUSSION ON THE REPORT OF THE COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1955.

*श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले तीन दिनों से जिस रिपोर्ट पर यहां बहस होती रही और जिसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया वह यहां क्यों लाई गई इसका जिक्र शुरू ही में हो चुका है । यह रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होती है लेकिन पार्लियामेंट ने यह तय किया कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी इसको पेश किया जाय । इसकी हमको बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने माननीय सदस्यों को अपने विचारों को प्रकट करने के लिये मौका दिया । उन्होंने गवर्नमेंट की खामियों का

मोटर वेहिकिल्स (बिहार अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७ को विधान परिषद् और विधान सभा की जिस संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है उसके ये सदस्य हों :—

(१) श्री हरिनाथ मिश्र,
(२) श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही,
(३) श्रीमती शकुन्तला 'अग्रवाल',
(४) श्री बबुए लाल महतो,
(५) श्री गिरीश तिवारी,
(६) श्री आजाद केदार नारायण सिंह,
(७) श्री जब्बार हुसैन,
(८) श्री अब्दुल हयात,
(९) श्री दारोगा प्रसाद राय,
(१०) श्री यदुनन्दन तिवारी,
(११) श्री एस० एन० अग्रवाल,
(१२) श्री एस० के० बागे,
(१३) श्री त्रिविक्रम देव नारायण सिंह,
(१४) श्री बदरी सिंह (पी० एस० पी०), और
(१५) श्री हरदयाल शर्मा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पंचायत राज (सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट एन्ड वैलिडेटिंग) बिल, १९५७ (परिषद् में उद्भूत)।

THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (SECOND AMENDMENT AND VALIDATING) BILL, 1957 (ORIGINATED IN THE COUNCIL).

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार विधान परिषद् में उद्भूत बिहार पंचायत राज (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट एन्ड वैलिडेटिंग) बिल, १९५७ के संबंध में विधान परिषद् द्वारा इस अभिस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय और वह प्रवर समिति ४० सदस्यों की हो, सभा की सहमति हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार विधान परिषद् में उद्भूत बिहार पंचायत राज (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट एन्ड वैलिडेटिंग) बिल, १९५७ के संबंध में विधान परिषद् द्वारा इस अभिस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय और उक्त प्रवर समिति ४० सदस्यों की हो, सभा की सहमति हो।

श्री रामानन्द तिवारी——अध्यक्ष महोदय, ४० सदस्यों की बात प्रवर समिति के संबंध में जो कही गई है मैं इसका घोर विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं कि सेलेक्ट कमिटी में चुने हुए लोग आते हैं, इसलिए अधिक सदस्यों को रखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोनों सदन मिलाकर २० सदस्य रखे जायं इसलिए कि राज्य में सुखार के कारण अकाल पड़ा हुआ है और चारो तरफ कटौती की बात हो रही है। यहां तक कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कमी की जा रही है। ४० सदस्य रखने से उनके टी० ए० और डी० ए० पर काफी खर्च हो जायगा। २० सदस्यों से भी उतना ही काम होगा जितना कि ४० सदस्यों से। इसलिए यह अधिक खर्च का बोझ बेचारे गरीब टैक्स देने वालों पर पड़ जायगा। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

Shri RAM CHARITRA SINGH : Sir, I would like to point out one thing. The general convention of the House has been that whenever a Select Committee is appointed, according to the ratio, the opposition members should get their seats. I have found that 15 members have been taken in the Joint Select Committee of the Transport from this House and only 3 members from this side have been selected. Government should not have done like that.

SPEAKER : Is it the hon'ble member's opinion that the opposition ought to have got 5 at least.

Shri RAM CHARITRA SINGH : Sir, this has been the practice. But I do not know who advised the Hon'ble Minister to take only 3 from opposition.

श्री विनोदानन्द झा——हुजूर, इस संबंध में मुझे केवल एक बात कहनी है। पहले तो ४० सदस्यों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह पुराना विधेयक है और प्रवर समिति में पहले ४० सदस्य थे। उन्होंने कुछ काम भी किए हैं लेकिन दुर्भाग्य से लेजिस्लेचर डिजौल्व हो गया, इसलिए रिपोर्ट नहीं आ सकी। अब मैंने कोशिश की है कि जो सदस्य पहले थे उन्हीं को इसमें जगह दी जाय। अपोजीशन पार्टी के सात सदस्यों के नाम लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछकर इसमें रखे गये हैं। पहले के जो सदस्य नहीं आये हैं उनकी जगह पर भी पार्टी के लीडर से पूछकर नाम रखा गया है। उनका रेशियो मानकर हमने नाम रखा है।

Shri RAM CHARITRA SINGH : Sir, according to the convention of the House of Commons these things are arranged by the Whip, and the Chair always desires that behind the Chair these things may be done. But unfortunately Government wants to break this established convention.

Shri BINODANAND JHA : That is to the advantage of the House itself, Sir. But the point should have been made out when the motion was before the House. It is unfortunate that I cannot correct the motion which has been approved by the House.

Shri RAM CHARITRA SINGH : I only wanted to point this out. Government should have proposed a larger number of membe·s from this side to justify the attitude of co-operation. We are always in helping attitude but Government is indifferent.

अध्यक्ष—पहले जो चीज पास हो गई उसके संबंध में अब कुछ नहीं हो सकता है।

श्री रामचरित्र सिंह—जी हां, यह तो ठीक है। हमने सिर्फ यह दिखलाया कि गवर्नमेन्ट को कंवेन्शन का ख्याल करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया।

श्री विनोदानन्द झा—हुजूर, सरकार को कंवेन्शन तोड़ने का इरादा नहीं है। यह और हेल्दी कंवेन्शन रहेगा।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह वतलाया है कि यह पुराना विल है और इसमें उन सदस्यों को रखने की कोशिश की गई है जो पहले समिति में थे। मैं ऐसा नहीं मानता और यह जरूरी नहीं कि एक बार गलती हो गई तो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो।

अध्यक्ष—मननीय मंत्री ने तो कहा है कि जितना आपका हिस्सा होगा उतना देंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—हुजूर, यहां हिस्से का प्रश्न नहीं है। मेरा कहना यह है है कि इस राज्य की जो इस समय आर्थिक दशा है उसमें क्या यह सम्भव नहीं है कि २० सदस्य से ही काम लिया जाय। मैं चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ४० के वदले २० सदस्य रहें जिसमें कम पैसा भी खर्च होगा और काम भी हो जायगा।

श्री विनोदानन्द झा—हुजूर, एक शब्द में मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। यह वहुत ही आवश्यक विधेयक है और सारे प्रान्त में ये संस्थाएं बन रही हैं। लोगों के जीवन, पोषण और रहन-सहन तीनों चीज की व्यवस्था इसमें है और सरकार समझती है कि पहले के जो सदस्य हैं, जो तजुर्बेकार हैं उनसे लाभ उठाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यदि हम यह उचित भी समझें कि सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए तौभी कुछ इसमें लाचारी है। यह विल कौंसिल से पास होकर आया है और उन्होंने ४० सदस्यों की वात मांगी है। इसलिए सरकार की प्रार्थना पर आपको वोट नहीं देना है वल्कि कौंसिल की प्रार्थना पर देना है। आपको अधिकार है कि इसमें तरमीम कर सकते हैं लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि एक हाउस अनुरोध करता है कि ४० सदस्य समिति में रहने चाहिये और उसमें भी १० सदस्य अपने और ३० इस सदन के उसने रखे हैं तब इस बात को ठुकरा देना जरा उचित नहीं लगता।

अध्यक्ष—कुल मिलाकर ४० मेम्बर होंगे जिनमें १० आदमी का नाम कौंसिल ने दे दिया है, यही बात है न।

श्री विनोदानन्द झा—यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमिटी ४० मेम्बरों का है जिसमें ३० आदमी इस हाउस को नौमिनेट करना है।

अध्यक्ष—हमलोगों का केवल यही अधिकार है कि इसे मानें या न मानें। ३० आदमी से ज्यादे हमलोग नहीं दे सकते हैं। इसे मैं सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि बिहार विधान परिषद् में उद्भूत बिहार पंचायत राज (सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट ऐंड वैलिडेटिंग) बिल, १९५७ के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा इस अभिस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय और उक्त प्रवर समिति ४० सदस्यों की हो, सभा की सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की सहमति मिली।

श्री विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिहार पंचायत राज (सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट ऐंड वैलिडेटिंग) बिल, १९५७ को विधान परिषद् और विधान सभा की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने के परिषद् द्वारा यथा स्वीकृत तथा सभा द्वारा यथा सहमत प्रस्ताव के संबंध में विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम १५४(३) के अनुसार सभा के निम्न सदस्य उक्त समिति के लिए मनोनित किए जायं :

(१) श्री सुशील कुमार बागे,
(२) श्री जय नारायण झा 'विनीत',
(३) श्री जय नारायण प्रसाद,
(४) श्रीमती सुदामा चौधरी,
(५) श्रीमती जोहरा अहमद,
(६) श्री लाल सिंह त्यागी,
(७) श्री चन्द्रशेखर सिंह,
(८) श्री हरिवंश नारायण सिंह,
(९) श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी,
(१०) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
(११) श्री नवलकिशोर सिंह (मुजफ्फरपुर),
(१२) श्री निरापद मुखर्जी,
(१३) श्री दुलारचन्द राम,
(१४) श्री कमलदेव नारायण सिंह,

(१५) श्री विन्ध्यवासिनी देवी,
(१६) श्री राधानन्दन झा,
(१७) श्री शिवपूजन राय,
(१८) श्री शीतल प्रसाद गुप्त,
(१९) श्री वासुदेव प्रसाद सिंह,
(२०) श्री रंग बहादुर प्रसाद,
(२१) श्री देवगन प्रसाद सिंह,
(२२) श्री कर्पूरी ठाकुर,
(२३) श्री रामजनम ओझा,
(२४) श्री रामेश्वर प्रसाद महता,
(२५) श्री मोती राम,
(२६) श्री इगनेस कुजूर,
(२७) श्री सनाथ राउत,
(२८) श्री कार्यानन्द शर्मा,
(२९) श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल, और
(३०) श्री विनोदानन्द झा, प्रस्तावक।

श्रीमती सरस्वती चौधरी--अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अभी सरकार ने कहा है कि पुराने बिल के प्रवर समिति में जितने सदस्य थे उनको लेने की कोशिश की गयी है। उस प्रवर समिति में मैं भी थी और बहुत ही ऐक्टिव मेम्बर थी। मेरा नाम इसमें नहीं आया है। मैं चाहती हूं कि मेरा नाम भी आवे।

श्री दारोगा प्रसाद राय--वैसे सदस्य को इसमें से हटा दिया गया है जो कि एक तो हरिजन और दूसरे औरत हैं। आपने जो यह कहा है यक कन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रखा है इसको मैं अपोज करता हूं।

श्री विनोदानन्द झा--हमको जो प्रस्ताव रखना था, रखा। अब हाउस को अधिकार है कि इसे माने या न माने।

अध्यक्ष--आप अपोजीशन में से १० आदमी नहीं लेते हैं।

श्री रामचरित्र सिंह--अपोजीशन मान गया है, आपस में ये लोग ठीक कर लें।

श्री दारोगा प्रसाद राय--यहां जितने सदस्य हैं सभी बराबर हैं लेकिन मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि नाम कंट्रिब्यूशन के ऊपर डिपेन्ड करता है वह माननीय सदस्यों के ऊपर आक्षेप है, इसलिये इसको उन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री विनोदानन्द झा—मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पुराने मेम्बरों में से कुछ को काटना पड़ा। हमारे मित्र श्री भोला पासवान का इसमें बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन है और उनको रखना जरूरी है। मैं विरोधी दल से श्री सुशील कुमार बाग्ं को रखना चाहता हूं और इसके लिये श्री हृदय नारायण चौधरी का नाम काटना पड़ा।

श्री दारोगा प्रसाद राय—हमलोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि किसका नाम आप रखते हैं और किसका नहीं लेकिन यह हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है, जैसा आपने कहा है कि पुराने मेम्बरों को हमें रखना है और जो हार गये हैं उनको रिप्लेस करना है। यदि दोनों को कंपेयर किया जायगा तो आपका कहना गलत निकलेगा।

अध्यक्ष—मैं इसे प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं मानता।

श्री रामचरित्र सिंह—मेरा सुझाव यह है कि आज इसको छोड़ दिया जाय और कल आपस में बैठकर इस पर विचार किया जाय।

श्री विनोदानन्द झा—मैं माननीय सदस्य से यह कह देना चाहता हूं कि हमारे ह्विप नवल बाबू विरोधी दल के नेता से बात किये थे और तब आज यहां नाम आया है। अब तो आपकी तरफ के ९ सदस्य हो गये।

श्री रामचरित्र सिंह—एक आदमी का नाम और होना चाहिये।

श्री विनोदानन्द झा—इस कमिटी के सदस्य केवल इसी सदन के नहीं रहते हैं। दोनों सदन को देखना पड़ता है।

श्री रामानन्द तिवारी—३० सदस्यों में से १० तो इधर के होने चाहिये।

श्री विनोदानन्द झा—अब आप ९ हो गये। इसलिये आपको मान लेना चाहिये।

श्री रामचरित्र सिंह—यह गलत बात है। एक आदमी का नाम और होना चाहिये।

श्री विनोदानन्द झा—यदि मुझे अवकाश रहता तो मैं माननीय सदस्य की बात अवश्य मान लेता। लेकिन कल कौंसिल में मोशन करना है। यदि यह काम कल होगा तो मेसेज कब जायगा? सभा की बैठक कल के बाद होने की संभावना नहीं है और यदि इसको कल किया जायगा तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जायगा। इसलिये मैं माननीय सदस्य से दर्खास्त करता हूं कि वे मान जायं।

श्री रामचरित्र सिंह—आपने दर्खास्त की तो मैं मान लेता हूं।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—माननीय मंत्री ने यह कहा कि पहले सेशन में बिल था और पुरान सदस्यों को भी रखना जरूरी है। लेकिन उन्होंने पुराने सदस्यों को ही नहा रखा है और यहां गलत बयान दिया है।

श्री विनोदानन्द झा—यदि सभी पुराने मेम्बरों को रखा जाता तो श्रीमती जोहरा अहमद तथा श्रीमती सुदामा चौधरी को कैसे ले सकते थे। कुछ नयी महिलाओं को भी लेना जरूरी है।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—माननीय मंत्री को रौंग स्टेटमेन्ट नहीं देना चाहिये था।

श्री विनोदानन्द झा—हमने एक शब्द भी रौंग नहीं कहा है। हमने इतना ही कहा कि जो पुराने सदस्य हार गये हैं उनकी जगह नये सदस्यों को रखा गया है।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—जो नामावली आपके सामने है उसके संबंध में मेरा एक निवेदन आपसे, सदन के सदस्यों से तथा राजस्व मंत्री से है। यह एक भावुकता की बात हो जाती है और एक बात और भी है कि जब एक महिला सदस्य जो हरिजन हैं, समाज के निम्नस्तर से आती हैं और वे जब खड़ी होकर कहती हैं कि इसमें मुझे दिलचस्पी है तो मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनका नाम सम्मिलित कर लिया जाय।

अध्यक्ष—किसी को कुछ पाने की जरूरत तो नहीं है अगर कोई मेम्बर कहें कि नहीं रहना चाहता हूं।

श्री फजलुर्रहमान—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम पुराने मेम्बरों को ....

अध्यक्ष—वह बात अब खत्म हो गई है। आप क्या कहेंगे, प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोलना है। हम कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री फजलुर्रहमान—हुजूर, हम प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करते हैं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अगर मैं पुराने सदस्यों में से कुछ को नहीं हटाता तो श्रीमती जोहरा अहमद तथा श्रीमती सुदामा चौधरी कहां से आतीं? मुझे इसके लिये बड़ी खुशी है कि वे औरतों पर बहुत अधिक ख्याल रखते हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वह हरिजन सदस्या जिनका काफी कन्ट्रीब्युशन रहा उनको हटाने का क्या कारण था?

श्री विनोदानन्द झा—हमें इतना ही कहना है कि मुझे इसके लिये अफसोस है कि श्रीमती चौधरी का नाम नहीं रखा गया है लेकिन मैं समझता हूं कि वे काफी

उदारहृदया हैं और वेचारी काफी समझदार भी और उनको समझना चाहिये कि उनकी जगह पर दो-दो स्त्रियों को स्थान मिल गया।

अध्यक्ष—मैं प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर को नहीं मानता।

(सदन में काफी हो-हल्ला होने लगा)

श्री भोला नाथ भगत—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। हमारे मंत्री महोदय ने अभी बोलने के सिलसिले में वेचारी शब्द का उपयोग किया है और उसका अर्थ होता है 'पूअर फेलो' जो ठीक नहीं है।

श्री विनोदानन्द झा—इसका जवाब यह है कि हमने 'पूअर फेलो' के अर्थ में 'वेचारी' शब्द का उपयोग नहीं किया बल्कि 'अनफौर्चुनेट' के अर्थ में हमने इसको उपयोग किया है।

अध्यक्ष—अगर आप उठा लें तो क्या बात हो?

श्री विनोदानन्द झा—यह अनपार्लियामेन्टरी शब्द नहीं है, दुखद के सेन्स में मैंने कहा है और अगर अनपार्लियामेन्टरी हो तो मैं सौ दफा उठाने को तैयार हूं।

(काफी शोर गुल सदन में होने लगा और इस अवसर पर कई माननीय सदस्य एक ही साथ उठकर बोलने लगे।)

अध्यक्ष (खड़े होकर)—मैं देख रहा हूं कि सभा की कार्रवाई कैसे चल रही है। सभी कोई कभी प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर, कभी प्वाएन्ट ऑफ इन्फार्मेशन और कभी नई बात कहने के लिये खड़े होते हैं लेकिन यह तरीका सभा चलाने का नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि १० वर्ष तक जो कड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी वह अब करनी पड़ेगी।

श्री चेतू राम—हमारा प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर है, सुन लिया जाय।

अध्यक्ष (खड़े होकर)—मैं सनने को तैयार नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जैसा है उसी तरह रहेगा?

श्री विनोदानन्द झा—जी हां, उसी तरह रहेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बिहार पंचायत राज (सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट एेन्ड वैलेडेटिंग) बिल, १९५७ को विधान परिषद् और विधान सभा की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने के परिषद् द्वारा यथा स्वीकृत तथा सभा द्वारा यथा सहमत प्रस्ताव के

संबंध में विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम १५४ (३) के अनुसार सभा के निम्नलिखित ३० सदस्य उक्त समिति के लिए मनोनीत किये जायें:—

(१) श्री सुशील कुमार वागे,
(२) श्री जयनारायण झा 'विनीत,'
(३) श्री जयनारायण प्रसाद,
(४) श्रीमती सुदामा चौधरी,
(५) श्रीमती जोहरा अहमद,
(६) श्री लाल सिंह त्यागी,
(७) श्री चन्द्रशेखर सिंह,
(८) श्री हरिवंश नारायण सिंह,
(९) श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी,
(१०) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
(११) श्री नवलकिशोर सिंह (मुजफ्फरपुर),
(१२) श्री निरापद मुखर्जी,
(१३) श्री दुलारचन्द राम,
(१४) श्री कमलदेव नारायण सिंह,
(१५) श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी,
(१६) श्री राधानन्दन झा,
(१७) श्री शिवपूजन राय,
(१८) श्री शीतल प्रसाद गुप्त,
(१९) श्री वासुदेव प्रसाद सिंह,
(२०) श्री रंगबहादुर प्रसाद,
(२१) श्री देवगन प्रसाद सिंह,
(२२) श्री कर्पूरी ठाकुर,
(२३) श्री रामजनम ओझा,
(२५) श्री रामेश्वर प्रसाद महथा,
(२५) श्री मोतीराम,
(२६) श्री इगनेश कुजूर,
(२७) श्री सन्मथ राउत,
(२८) श्री कार्यानन्द शर्मा,
(२९) श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल, और
(३०) श्री विनोदानन्द झा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।